न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 253/2018

अनवान :

1. नरेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा।
2. रेशमा पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना।
3. शकुन्तला चौधरी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 3.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 188/185/186 के खसरा सं0 294 की 2.1070 है0 खसरा सं0 648 की 5.2990 है0 कुल 7.4060 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी नत्थुराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है प्रतिवादी नत्थुराम को उक्त भूमि अपने पिता हनुमानप्रसाद से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी नत्थुराम के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 3 जो प्रतिवादी नत्थुराम के पुत्र पुत्री है जिनका उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी नत्थुराम के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रतिवादी नत्थुराम के साथ वाद भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी नरेशकुमार पुत्र नत्थुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम डूंगराना के खाता सं0 188/185 186 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम डूंगराना सम्वत् 2043 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है प्रतिवादी नत्थुराम को उक्त भूमि अपने पिता हनुमानप्रसाद से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 3 का प्रतिवादी नत्थुराम के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम डूंगराना सम्वत् 2043 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा हनुमान वल्द गणपतराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में नत्थुराम के वारिसान में पत्नी रेशमा देवी, एक पुत्र नरेश कुमार व एक पुत्री शकुन्तला चौधरी होना एवं इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 188/185/186 के खसरा सं0 294 की 2.1070 है0 खसरा सं0 648 की 5.2990 है0 कुल 7.4060 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी नत्थुराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी नत्थुराम के बजाय वादी व प्रतिवादिया सं0 2 संयुक्त रूप से 2.944 है0 व प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम 0.759 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा (हनु.)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 253/2018

अनवान :

1. नरेश कुमार पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा।
2. रेशमा पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना।
3. शकुन्तला चौधरी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी गांव डुंगराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगराना के खाता सं0 188/185/186 के खसरा सं0 294 की 2.1070 है0 खसरा सं0 648 की 5.2990 है0 कुल 7.4060 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी नत्थुराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी नत्थुराम के बजाय वादी व प्रतिवादिया सं0 2 संयुक्त रूप से 2.944 है0 व प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम 0.759 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़